

प्रेस नोट थाना बाँसगांव गोरखपुर दिनांक 08.01.2023

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बाँसगांव के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक विज्ञानकर सिंह द्वारा मय पुलिस टीम के थाना बाँसगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 380/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त राजेश उर्फ राजेश लोना पुत्र चन्द्रदेव उर्फ चानदेव निवासी ग्राम कसिहार थाना बाँसगाव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेश उर्फ राजेश लोना पुत्र चन्द्रदेव उर्फ चानदेव निवासी ग्राम कसिहार थाना बाँसगाव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 380/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 380/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 217/2022 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 163/2021 धारा 379 भादवि थाना-बेलीपार जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 83/2020 धारा-34/307भादवि व 3/5क/8गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 216/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. प्र0नि0 विज्ञानकर सिंह, थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 इत्यानन्द पाण्डेय, चौकी प्रभारी कौड़ीराम थाना बाँसगांव, जनपद गोरखपुर
3. का0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर
4. का0 मोहित सिंह, थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर
5. का0 देवेश वर्मा, थाना बाँसगाव जनपद गोरखपुर